पत्र संख्याःडी.बी.–एवसायन(ग्रा0वि0)भाग–4– 1546-1625
हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास विभाग ।

प्रेषकः–

सचिव (ग्रा0वि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषितः–

समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिमला । 22 – अप्रैल, 2011

विषयः ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग में विभिन्न कार्यो के लिए पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट (पी0पी0सी0) उपलब्ध करने हेतु ।

सीमेंट का दर अनुबंध (Rate contract) जो कि 31.03.2011 तक मान्य था वह अब समाप्त हो चुका है । नया दर अनुबंध न होने के कारण, मैसर्ज हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम अपने विभिन्न आऊटलैटों पर ग्राम पंचायतों के लिये सीमेंट उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है । इस कारण ग्राम पंचायतों को सीमेंट उपलब्ध नहीं हो रहा है जिससे कि विशेष तौर पर मनरेगा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं । जॉव कार्ड होल्डरों को, सिमेंट उपलब्ध न होने के कारण रोजगार उपलब्ध करवाने में कठिनाई आ रही है ।

विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है जिन ग्राम पंचायतों के पास सीमेंट उपलब्ध नहीं है वह मनरेगा कार्यो के लिए खुले बाजार से 200 बोरी सीमेंट खरीद सकते हैं । लेकिन ध्यान में आया है कि मार्च ,2011 में मैसर्ज हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के आऊटलैटों में भारी मात्रा में सीमेंट उपलब्ध करवाया गया है । खण्ड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मनरेगा कार्यो के लिए जो 200 बोरी सीमेंट खरीदने की अनुमति दी जा रही है वह उन्ही ग्राम पंचायतों के लिये लागू होगी जहां पर मैसर्ज हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के आऊटलैटों पर सीमेंट उपलब्ध नही है । जहां पर सीमेंट मैसर्ज हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम आऊटलैटों पर उपलब्ध है वहां पर सीमेंट उन्हीं आऊटलैटों से ही खरीदा जाये । जिन ग्राम पंचायतों के पास सीमेंट का स्टाक बचा है , उन पंचायतों को भी खुले बाजार से सीमेंट खरीदनें कर अनुमति नहीं होगी ।

सचिव (ग्रा0वि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या– 1626 दिनांकः– 22-4-2011
प्रतिलिपि :–

प्रबन्ध निर्देशक, हि0प्र0 राज्य आपूर्ति निगम, ब्लौक न0 16–17,एस0डी0ए0 काम्पलैक्स, कसुम्टी, शिमला–9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है । उनसे अनुरोध किया जाता है कि वह सीमेंट के दर अनुबंध के विषय को अतिशीघ्र नियंत्रक स्टोर हिमाचल प्रदेश से सुलझाऐं जिससे कि अतिशीघ्र पंचायतों को दर अनुबंध का सीमेंट उपलब्ध करवाया जा सके । उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि जिन सीमेंट की फर्मो को मार्च ,2011 तक आपूर्ति आदेश दिये गए थे ,उनसे अतिशीघ्र 31 मार्च तक मान्य दर अनुबंध का सीमेंट उपलब्ध करवाया जाए ।

सचिव (ग्रा0वि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।